न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 50/2018 जिला सीकर ।

धोलूराम दत्तक पुत्र हरदेवाराम, जाति गुर्जर, निवासी दुला की ढाणी, तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. चिमा तथाकथित पुत्री खुबाराम पत्नी रूघाराम, जाति गुर्जर, निवासी आंतरी, तहसील धोद, जिला सीकर ।

रेस्पोडेन्ट

2. छोटी पुत्री पेमाराम पत्नी चुन्नाराम, निवासी चिहाला, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर ।
3. डाली पुत्री पेमाराम पत्नी गंगाराम, निवासी धोकर, तन श्यामगढ, तहसील व जिला सीकर ।
4. चुका पुत्री पेमाराम पत्नी मोतीराम, जाति गुर्जर, निवासी रूपगढ, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

प्रॉफोर्मा रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 25.6.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह
2. वकील रेस्पोंडन्ट श्री धर्मपाल सिंह

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक – 24.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 25.6.2018 के विरूद्ध मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 8.8.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है --

यह कि ग्राम दूला की ढाणी तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नं 52 रकबा 4 बीघा, खसरा नं. 21 रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 40 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 55 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, कुल किता 4 रकबा 44 बीघा 13 बिस्वा में से 2/3 हिस्से का व इसी प्रकार गत खसरा नं. 46 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 47 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 48 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा में 1/4 हिस्से का खातेदार दानाराम पुत्र गुल्लाराम था । खातेदार दानाराम पुत्र गुल्लाराम के फोत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 42 ग्राम पंचायत गोकुलपुरा द्वारा दिनांक 9.5.1974 को हरदेवा पुत्र दाना गुर्जर हिस्सा 2/3 का

स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार दाना के पुत्र खूबाराम की पुत्री चीमा देवी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 12.2.2016 को प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.6.2018 द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार अपीलान्ट दानाराम के पुत्र खूबाराम की पुत्री होना तथा उसका जन्म होने के बाद खूबाराम की मृत्यु होना एवं माता गुलाबी देवी ने दानाराम के दूसरे पुत्र पेमाराम से विवाह कर लेने से रेस्पोडेन्ट पैदा हुए हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्ट स्वयं दानाराम के स्वर्गीय पुत्र खूबाराम की पुत्री होने से उसकी सम्पत्ति की वैध वारिस है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी आपत्ति में भी इस बाबत कोई वैध एतराज नहीं करने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 9.5.1974 ग्राम पंचायत गोकुलपुरा को निरस्त किया गया एवं तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया गया कि सभी पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए दानाराम के सभी वैध वारिसान के नाम विरासत दर्ज करने की कार्यवाही करें ।

उपखण्ड अधिकारी के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर मृतक खातेदार दानाराम के पुत्र हरदेवाराम के दत्तक पुत्र धोलूराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर निरस्त किया जाकर नामांतरकण संख्या 42 दिनांक 9.5.1974 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की गई।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

चित्र। वरिष्ठ संभागीय ... जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार दानाराम के तीन जायन्दा पुत्र खूबाराम, पेमाराम व हरदेवाराम थे । हरदेवाराम लाऔलाद फौत हुआ था । दानाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्राम पंचायत गोकुलपुरा ने दिनांक 9.5.1974 बिना वारिसान की जॉच किए स्वीकार किया है। उनका कहना था कि रेस्पोडेन्ट चीमा खूबाराम की पुत्री नहीं है । खूबाराम एवं पेमाराम का दानाराम के जीवनकाल में देहान्त हो गया था तथा पेमाराम की जायन्दा पुत्रियां छोटी देवी एवं लाली देवी ने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में मौखिक सहमति एवं स्वीकृति प्रदान की थी और उसी के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक किया गया । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 42 साल के असाधारण विलम्ब से रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि रेस्पोडेन्ट चीमा का विवादित भूमि से किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा न ही वह खूबाराम की पुत्री है तथा न ही नामांतरकरण तस्दीक करने के समय उसका जन्म हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। उनका यह भी कहना था कि ग्राम पंचायत गोकुलपुरा द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक खातेदार दानाराम के विधिक वारिसान की जॉच कर ली गई थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की नामांतरकरण के संबंध

में पूर्ण सहमति थी । उनका यह कहना था कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि चीमा तथाकथित पुत्री खूबाराम ने हरदेवाराम के जीवनकाल में उसके हक में तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 42 को कभी चुनौती नहीं दी तथा सामान्य बुद्धि के व्यक्ति से यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि 42 वर्ष की अवधि तक किसी भूमि में उसका कोई अधिकार हो और उसे यह भी जानकारी नहीं हो कि भूमि उसके नाम अंकित भी है अथवा नहीं । रेस्पोडेन्ट चीमा ने मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जो पृथमदृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य थी । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए तथा विलम्ब के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखा जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 440, आर.आर.टी.2006 (2) पेज 1092, आर.आर.टी.2016 (2) पेज 1423, 2008(3) डी.एन.जे.(राजस्थान, पेज 1232), आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 125 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार दानाराम था जिसके तीन पुत्र खूबाराम, पेमाराम व हरदेवाराम थे । जिनमें से खूबाराम विवाहित था जिसके एक पुत्री पैदा होने के बाद खूबाराम की मृत्यु हो गई थी। खूबाराम की पत्नि गुलाबी देवी ने पेमाराम से पुनर्विवाह कर लिया था जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 पैदा हुए । दानाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण उसके विधिक वारिसान को छोड़ते हुए ग्राम पंचायत ने केवल हरदेवाराम के नाम तस्दीक कर दी थी जो निरस्तनीय है । ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व दानाराम के विधिक वारिसान की जॉच नहीं की तथा न ही रेस्पोडेन्ट को रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । उनका कहना था कि हरदेवाराम की भी मृत्यु हो चुकी है और अपीलान्ट धोलूराम उसका फर्जी गोदपुत्र बनकर विवादित भूमि का नामांतरकरण अपने नाम करवाना चाहता है । रेस्पोडेन्ट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक दानाराम की विधिक वारिस है जिन्हें ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण में छोड़ दिया गया । उनका कहना था कि रेस्पोडेन्ट जनवरी 2016 के अंतिम सप्ताह में के.सी.सी. बनवाने साईबर कैफे पर गई थी व खाता चैक करवाया तो रेस्पोडेन्ट का नाम नहीं मिला तब तहसीलदार सीकर के यहॉ से प्रश्नगत नामांतरकरण की नकल के लिए आवेदन किया तो दिनांक 5.2.2016 को नकल प्राप्त हुई और मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को स्वर्गीय दानाराम के पुत्र खूबाराम की पुत्री होने से दानाराम की वैध वारिस मानते हुए रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 9.5.1974 ग्राम पंचायत गोकुलपुरा को निरस्त किया गया एवं तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया गया कि सभी पक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए दानाराम के सभी वैध वारिसान के नाम विरासत दर्ज करने की कार्यवाही करें । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया गया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । प्रकरण में मुख्यतः विवाद विवादित भूमि के खातेदार दानाराम के विरासत के नामांतरकरण का है। ग्राम पंचायत द्वारा दानाराम के विरासत का नामांतरकरण हरदेवा पुत्र दानाराम के नाम तस्दीक किया है । दूसरी ओर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दानाराम के पुत्र खूबाराम की पुत्री चीमादेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नामांतरकरण को चुनौती दी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट चीमादेवी की अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.6.2018 द्वारा सजरा खानदान के अनुसार अपीलान्ट दानाराम के पुत्र खूबाराम की पुत्री होना तथा उसका जन्म होने के बाद खूबाराम की मृत्यु होना एवं माता गुलाबी देवी ने दानाराम के दूसरे पुत्र पेमाराम से विवाह कर लेने से रेस्पोडेन्ट पैदा हुए हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्ट स्वयं दानाराम के स्वर्गीय पुत्र खूबाराम की पुत्री होने से उसकी सम्पत्ति की वैध वारिस है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी आपत्ति में भी इस बाबत कोई वैध एतराज नहीं करने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 9.5.1974 ग्राम पंचायत गोकुलपुरा को निरस्त किया गया एवं तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया गया कि सभी पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए दानाराम के सभी वैध वारिसान के नाम विरासत दर्ज करने की कार्यवाही की जावे।

हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खतेदार दानाराम के पुत्र खूबाराम पेमाराम व हरदेवाराम थे लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना वारिसान की जॉच के दानाराम की विरासत का नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 9.5.1974 को हरदेवाराम पुत्र दानाराम के नाम तस्दीक कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है । रेस्पोडेन्ट चीमा दानाराम के पुत्र खूबाराम की पुत्री होने से दानाराम की भूमि में हिस्सा चाहती है । चूंकि हरदेवाराम भी फौत हो चुका है और अपीलान्ट धोलूराम दत्तक पुत्र के आधार पर हरदेवाराम की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम कराना चाहता है । चूंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दत्तक का तथ्य विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है, जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं हो सकता । दत्तक के आधार पर हक चाहने वाले व्यक्ति को अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने होगें । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार को सभी पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए दानाराम के सभी वैध वारिसान के नाम विरासत दर्ज करने की कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 25.6.2018 उचित एवं विधि सम्मत होने से यथावत रखे जाने तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, सीकर दिनांक 25.6.2018 यथावत रखा जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त विभागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर